

Title: Need to ensure adequate supply of potable water in Giridih Parliamentary constituency, Jharkhand.

श्री टेक लाल महतो (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि झारखंड राज्य में कोयला खनन के कारण भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है तथा गिरिडीह लोक सभा क्षेत्र अन्तर्गत गिरिडीह खास, बनियाडीह, बुढ़ियाखाद, मोती महल्ला, सरैयाडीह, पचम्बा, बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया प्रखंड के गोमिया, होसीर, साडम, हजारी, खुदगड्डा, लटखुट्टा, तुलबुल, देढ़े, बिरसा, झीरकी, करमाटांड, इस्लाम टोला, चटनियाटोला, लालबांध तथा बेरमो प्रखंड अन्तर्गत बेरमो, दोरी, फूसरो, कुरकपनिया, दुगदा, घुटियाटांड, चलकरी, कखारा, बोडिया, बैदकारो एवं धनबाद जिला के बाघमारा के कतरास, पंचमढी, छाताबाद, लेयाबाद, सरैयाडीह, मधुबन, कपुरिया, महुदा आदि क्षेत्रों में घोर जल संकट उत्पन्न हो गया है तथा क्षेत्र के लाखों लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि उपरोक्त क्षेत्रों में पेयजल की अविलम्ब व्यवस्था की जाए।

अध्यक्ष महोदय, वहां पानी की बहुत किल्लत हो रही है। वहां के पीएचईडी मंत्री चुपचाप हैं। झारखंड सरकार भी कोई काम नहीं कर रही है। लोग पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। इसलिए वहां पानी की अविलंब व्यवस्था कर्वाई जाए। (व्यवधान)

MR. SPEAKER: What do you want to say now Shri Ram Kripal Yadavji?

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने सभी नेताओं की सहमति से जो निर्णय लिया है, मैं उसके संबंध में कोई टीका-टिप्पणी नहीं करता। आपने कहा कि हम उस विषय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शून्यकाल में लेंगे। हम जिस क्षेत्र से चुनकर आते हैं, वहां की जो ज्वलंत समस्या है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उस विषय को नियम 377 के अन्तर्गत दीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : नियम 377 के अंतर्गत कितने मामले उठाएंगे। आपके पास लिमिटेड स्कोप है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बाद में मेरे पास आइए। मैं आपके साथ बात करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा।

श्री राम कृपाल यादव : आप नियम में थोड़ी ढील कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, लेकिन वह अभी नहीं होगा।

...(व्यवधान)